प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 06.05.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र काशी प्रसाद निवासी जातेडिहा दुबौलिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, हे0का0 जयचन्द्र कनौजिया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राकेश उर्फ लल्ला पुत्र कल्पनाथ हरिजन निवासी अजगरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश, हे0का0 दिनेश प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बनियाबारी मुखलिसपुर रोड से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1. विनय कुमार पुत्र मिठाई लाल सा0 कामोखर थाना मुण्डेरवा जनपद वस्ती 2. संदीप पुत्र ज्ञानचन्द्र सा0 मोहनबारा थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अमित कुमार गुप्ता, हो0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 246 वाहनों से 2,60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 06.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 246 वाहनों से 2,60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 10500 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **10500** रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

श्री सूरज कुमार निवासी पिपरा प्रथम थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर दिनांक 02.03.2026 को अज्ञात साइबर ठग द्वारा ठगी कर लिया गया था। तत्पश्चात् वादी द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराया गया था। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना-बेलहरकला द्वारा 10500 रूपये वापस करा दिया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।